भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 542

उत्तर देने की तारीख : 25.07.2024

एमएसएमई को वित्तीय सहायता

542. श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की जिले-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) तमिलनाडु में, विशेष रूप से वेल्लोर संसदीय क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र में कंपनियों का पुनरुद्धार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर तमिलनाडु में स्टार्ट-अप कंपनियों के विकास और स्थिरता के लिए कोई नई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तमिलनाडु में नई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जिले-वार कितनी स्टार्ट-अप कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और उनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री जीतन राम मांझी)

(क) : केन्द्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करती है। इन स्कीमों में से कुछ स्कीमों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम आदि शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या (जिला-वार) अनुबंध-I में दी गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित गारंटी का ब्यौरा (जिला-वार) अनुबंध-II में दिया गया है।

(ख) : सरकार ने वेल्लूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को कवर करते हुए तमिलनाडु राज्य सहित देशभर में एमएसएमई क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए कई उपाय किए हैं। उनमें से कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

i. क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए विभिन्न श्रेणी के ऋणों के लिए 85 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 500 लाख रुपए तक की सीमा का कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना (दिनांक 01.04.2023 से लागू)।
ii. यह मंत्रालय पीएमईजीपी का कार्यान्वयन करता है जोकि एक प्रमुख क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य परम्परागत कारीगरों तथा ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है।
iii. आत्मनिर्भर भारत कोष के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस का प्रावधान है।

iv. एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए उच्चतर सीमा के साथ नया संशोधित मानदंड।

v. व्यवसाय करने की सुगमता के लिए ''उद्यम पंजीकरण पोर्टल'' के जरिए एमएसएमई का पंजीकरण।

vi. 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी।

vii. एमएसएमई के स्तर में किसी प्रकार के उन्नयन की स्थिति में 3 वर्ष के लिए गैर-कर लाभ प्रदान करना।

viii. 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन (रैम्प) कार्यक्रम की शुरुआत।

ix श्रम और रोजगार मंत्रालय के राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (एनसीएस) तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के कौशल भारत डिजिटल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल का समावेशन। पंजीकृत एमएसएमई, प्रशिक्षित श्रमशक्ति तक पहुंच तथा क्षमता निर्माण में सक्षम हैं।

x विवाद से विश्वास-I के अंतर्गत एमएसएमई को काटी गई कार्यनिष्पादन सिक्युरिटी, बोली संबंधी सिक्युरिटी तथा लिक्विडेटेड नुकसान के 95 प्रतिशत वापसी के जरिए राहत प्रदान की जाती है। संविदाओं के अनुपालन में चूक के कारण प्रतिबंधित कर दिए गए एमएसएमई को भी राहत प्रदान की जाती है।

xi. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत।

xii. 18 व्यवसायों में संलग्न परम्परागत कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरुआत।

(ग) : उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने नवोन्मेष को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से दिनांक 16 जनवरी, 2016 को स्टार्ट-अप इंडिया नामक पहल की शुरुआत की थी। स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार स्टार्ट-अप्स को उनके व्यावसायिक चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करने के लिए तीन फ्लैगशिप स्कीमों नामत: स्टार्ट-अप्स के लिए निधियों की निधि (एफएफएस), स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) तथा स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है।

(घ) : इन स्कीमों के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली स्टार्ट-अप कंपनियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

- एसआईएसएफएस के अंतर्गत, दिनांक 30 जून, 2024 तक वित्तीय सहायता हेतु तमिलनाडु से 220 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की पहचान की गई है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30 जून, 2024 तक एफएफएस के अंतर्गत, चेन्नै में 39 स्टार्ट-अप्स में 895 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है तथा कोयम्बटूर जिले में 3 स्टार्ट-अप्स में 123 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
- राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 30 जून, 2024 तक सीजीएसएस के अंतर्गत चेन्नै में 8 स्टार्ट-अप्स को 29.70 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी प्रदान की गई है तथा तिरुपुर जिले में 4 स्टार्ट-अप्स को 4.58 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी प्रदान की गई है।

*****

अनुबंध I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 542, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विगत 5 वर्षों में तमिलनाडु राज्य में पीएमईजीपी के तहत सहायता-प्राप्त इकाइयां (जिला-वार)						
क्र. सं.	जिला	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अरियालूर	117	106	102	87	42
2	चेंगलपेट	0	47	82	92	106
3	चैन्ने	63	101	169	99	113
4	कोयंबटूर	199	187	212	268	290
5	कुड्डालोर	87	107	164	152	104
6	धर्मपुरी	116	90	77	93	98
7	डिंडीगुल	89	92	113	187	108
8	इरोड	160	218	198	185	199
9	कल्लाकुरिची	0	20	47	80	115
10	कांचीपूरम	125	115	135	145	217
11	कन्याकुमारी	145	192	189	168	245
12	करूर	105	71	123	165	222
13	कृष्णागिरी	94	86	99	106	94
14	मदुरै	101	146	202	216	278
15	माइलादुत्रयी	0	0	28	172	142
16	नागपट्टिनम	107	199	160	129	118
17	नमक्कल	143	210	298	335	315
18	नीलगिरी	36	62	49	110	83
19	रेम्बलुर	57	64	72	104	85
20	पुडुकोट्टई	113	170	159	122	109
21	रामनाथपुरम	462	426	141	169	142
22	रानीपेट	0	21	69	178	85
23	सलेम	272	277	400	412	463
24	शिवगंगा	104	85	84	105	65
25	तेनकासी	0	46	84	132	170
26	तंजावुर	157	176	325	241	400
27	थेनी	89	75	83	106	144
28	तिरुचिरापल्ली	105	103	120	115	162
29	तिरुवल्लोर	204	133	207	186	134
30	थिरुवरुर	172	153	218	138	133
31	थूथूकुडी (तूतीकोरिन)	445	352	473	316	352
32	तिरुनेलवेली	638	397	328	295	191
33	तिरुपत्तूर	0	38	113	63	98
34	तिरुपुर	125	170	166	192	310
35	तिरुवन्नामलाई	183	135	154	202	137
36	वेल्लोर	153	122	100	67	192
37	विल्लुपुरम	120	104	120	120	361
38	विरुधुनगर	87	92	109	88	192
	कल	**5173**	**5188**	**5972**	**6140**	**6814**

अनुबंध- II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 542, जिसका उत्तर दिनांक 25.07.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

तमिलनाडु राज्य में अनुमोदित गारंटी की संख्या (जिला-वार)						
क्र.सं.	**जिला**	**वित्त वर्ष 2019-20**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
1	अरियालूर	431	208	366	979	709
2	चेन्नै	14,802	8,823	7,132	10,051	20,559
3	कोयंबटूर	8,862	6,575	4,063	5,047	9,836
4	कुड्डालोर	1,738	1,202	1,236	1,353	2,773
5	धर्मपुरी	1,234	831	578	1,446	2,102
6	डिंडीगुल	1,806	1,013	860	1,035	1,900
7	इरोड	3,453	2,358	1,423	2,041	3,331
8	कांचीपुरम	5,401	3,551	2,369	3,382	7,408
9	कन्याकुमारी	2,660	2,063	1,581	2,134	3,178
10	करूर	1,468	814	600	770	1,424
11	कृष्णागिरी	2,208	1,641	1,136	1,689	2,987
12	मदुरै	4,885	2,713	1,586	3,215	4,198
13	नागपट्टिनम	1,093	587	756	1,257	2,253
14	नमक्कल	1,840	1,454	1,219	1,427	2,451
15	नीलगिरी	392	505	397	349	612
16	पेरम्बलुर	272	248	182	302	476
17	पुदुक्कोट्टई	1,132	838	532	784	1,683
18	रामानाथपुर	799	774	638	611	1,543
19	सलेम	6,037	3,416	2,259	3,095	5,188
20	शिवगंगा	1,164	1,095	753	1,074	1,538
21	तंजावुर	3,468	1,931	1,322	1,750	2,782
22	थैनी	824	845	584	625	1,217
23	थुथीकुड़ी	1,531	1,062	673	1,377	2,645
22	तिरुचिराप्पली	3,097	2,266	1,515	1,709	3,532
25	तिरुनेलवेली	3,433	2,464	1,797	2,519	4,252
26	तिरुपूर	2,057	1,277	1,405	2,032	3,927
27	तिरुवल्लुर	5,098	3,785	1,776	2,292	6,301
28	तिरुवन्नमाला	1,785	1,657	1,392	1,879	2,966
29	तिरुवरुर	884	547	549	376	940
30	वेल्लोर	2,383	2,165	1,940	2,447	3,550
31	विलुपुरम	1,470	1,217	1,209	1,248	2,927
32	विरुधुनगर	2,018	1,610	1,069	1,588	2,627
	कुल	**89,725**	**61,535**	**44,897**	**61,883**	**1,13,815**

स्रोत: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)